लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 10/2026
जीसीएमएस सं. 2026/27
ऑन लाईन अपील सं.218649838553984/2026

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री कवित पण्ड्या निवासी चिडियावासा बांसवाडा	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 25–03–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन **218506346248620** दिनांक **03–02–2026** पर **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)** द्वारा उपलब्ध नही करवाये जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **09–03–2026** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक **25–03–2026** को प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना कार्यालय के पत्रांक भू.अ./[illegible]/2026/ 541 दिनांक 13.03.2026 से उपलब्ध करवा दी गई है। अपील निरस्त कराने का श्रम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:15:32 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** के जवाब एव उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन **218506346248620** दिनांक **03–02–2026** से 3 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। आवेदन अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु सं. 1 से 3 (क) (ख) (ग) से वांछित सूचना प्रश्नात्मक / व्यख्यात्मक / विशिष्ठि विहिन है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B)के अनुसार चाही गई सूचना में स्पष्ट विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु / सू.अ.प्र. /06 दिनांक 02.02. 2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है। तथापि **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा (राज.)** द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक भू.अ / सु.अ / 2026 / 541 दिनांक 13.03.2026 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई है।

अतः अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही होने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **25–03–2026** को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:15:32 IST
Reason: SelfAttested

(इन्द्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)